न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 40/2024

अनवान : –

1. विकास नाबालिग पुत्र जगदीश जरिये कुदरती बली माता कृष्णा पत्नी जगदीश जाति सांसी निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. चन्दूराम पुत्र सुन्दरराम जाति सांसी निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 24/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 203/215 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 8.0050 है० भूमि में से 506/215 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 49/27 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.7910 है० भूमि में से 11508/33955 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 37/41 के खसरां नं0 74 की कुल 6.1990 है० भूमि में से 2024/6199 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पैतृक भूमि है। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायलान को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 203/215 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 8.0050 है० भूमि में से 506/215 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 49/27 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.7910 है० भूमि में से 11508/33955 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 37/41 के खसरां नं0 74 की कुल 6.1990 है० भूमि में से 2024/6199 हिस्सा भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि रहन, बैय न करे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:41 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने निवेदन किया की जवाब नही देना चाहते है बहस सुनी जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 203/215 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 8.0050 है० भूमि में से 506/215 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 49/27 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 6.7910 है० भूमि में से 11508/33955 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ढीलकी जाटान तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 37/41 के खसरां नं0 74 की कुल 6.1990 है० भूमि में से 2024/6199 हिस्सा जो की अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है पैतृक भूमि है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित हो, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 04.03.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:41 IST
Reason: SelfAttested